न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/04/2021	2021/100	08.10.2021	12.08.2024

1.सुरेशसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत,
2.मालसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत,
3.बच्चूसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत,
4.रघुवीर पुत्र गणेश जाति राजपूत,
5.बनेसिंह पुत्र हरिराम जाति यादव,
6.रामस्वरूप पुत्र पांच्याराम जाति चौपदार,
7. दीपचन्द पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासीयान ग्राम निभेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1.भू—आवंटन अधिकारी राजगढ जिला मुख्यालय अलवर राज0।
2.रामवती पत्नी खिल्लूराम जाटव निवासी निभेडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा सब डिवीजन अधिकारी एवं भू आवंटन अधिकारी राजगढ मुख्यालय अलवर जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 281 मिन रकबा 4 बीघा जिसके हाल खसरा न0 750/281 कायम हुए की बाबत मिन जानिब दौजी पुत्र गुलाब भंगी निवासी निभेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर कि नाम खिलाफ मौका कब्जा विधि विरूद्ध कानून को ताख पर रख कर आवंटन किया गया जिस चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन करा ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने नाम दर्ज करा ली है बुमराम मंसुख किए जाने उक्त आवंटन आदेश तहत अदालत व स्वीकार किए जाने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण।

उपस्थितः—

01. श्री विशम्भर दयाल गुप्ता	—वकील प्रार्थीगण
02. श्री रज्जन सिद्ध	—वकील अप्रार्थी संख्या 02
03. राजकीय अभिभाषक	—वकील अप्रार्थी संख्या 01

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा सब डिवीजन अधिकारी एवं भू आवंटन अधिकारी राजगढ मुख्यालय अलवर जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 281 मिन रकबा 4 बीघा जिसके हाल खसरा न0 750/281 कायम हुए की बाबत मिन जानिब दौजी पुत्र गुलाब भंगी निवासी निभेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर कि नाम खिलाफ मौका कब्जा विधि विरूद्ध कानून को ताख पर रख कर आवंटन किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

कि आराजी खसरा न0 281 मिन रकबा 4 बीघा जिसके हाल खसरा न0 750/281 रकबा 1.01 है0 कायम हुये वाके ग्राम निभेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में विद्यमान है। विवादित भूमि जो कि चारागाह भूमि के रूप में काम आ रही है। जिस भूमि पर ग्रामवासीयान के मवेशीयान चरते हैं कानूनन चारागाह भूमि का आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है, ना ऐसा कोई प्रावधान है। विवादित आराज की बाबत दौजी पुत्र गुलाब भंगी निवासी निभेडा नामक व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से बाले–बाले मिल्लत कर आवंटन आदेश दिनांक 14.09.1975 के जर्ये आवंटन करा लिया ना तो विवादित आराजी का आवंटी को कब्जा दिया गया ना मौके पर तितम्बा काटा गया मौके पर विवादित आराजी चारागाह भूमि के रूप में काम में आ रही है। उक्त आलोच्य आदेश तहत अदालत द्वारा कानून को ताख पर रख कर खिलाफ मौका कब्जा विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत पारति किया गया जो हर सूरत में अपास्त योग्य है क्योंकि कानूनन चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है लेकिन तहत अदालत द्वारा इस बिन्दु पर गहनता से गौर नहीं किया बल्कि मनमानी व सरसरी तौर पर आलोच्य आवंटन आदेश पारति किया है।

आवंटी दौजी पुत्र गुलाब भंगी निवासी निभेडा के द्वारा दीगर आराजी खसरा न0 281/670 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम निभेडा की बाबत खातेदारी इंतकाल सख्या 355 दिनांक 22.06.1989 को स्वीकृत कराया गया। दौजी की मृत्यु के बाद इसका विरासत इंतकाल उसके पुत्र गुलाब पुत्र दौजी के नाम स्वीकृत हुआ। इसके गुलाब पुत्र दौजी द्वारा खसरा न0 281/670 का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 रामवती को करा दिया जिसका इंतकाल बैय सख्या 1089 दिनांक 20.09.2007 को स्वीकृत हुआ तथा साय की साथ अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मृतक दौजी जर्ये वारिस गुलाब से मिल्लत कर विवादित आराजी की भी किस्म परिवर्तन कराते हुए ताहाज राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अमल दरामद करा लिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 का विवादित आराजी से कोई वास्ता नहीं है। गैर वास्ता गैर काबिज शख्स है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जो खसरा न0 281/670 खरीदा उसका तितम्बा कट चुका है जबकि विवादित आराजी का आज तक तितम्बा नही कटा है जैसा कि नक्शा ट्रेस से साबित है। महज लालचवश व बदयांतीपूर्वक उक्त कार्यवाही की गई है इसलिए न्यायहित आलोच्य आवंटन आदेश अपास्त किया जाकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड से विवादित आराजी की बाबत अप्रार्थी संख्या 02 के नाम कलमजन कर हटाया जाना आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

आलोच्य आवंटन आदेश व ताहाल राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि बाबत हम प्रार्थीगण को जानकारी नहीं रही क्योंकि मौके पर विवादित आराजी के चारागाह के रूप में काम में लेने में कोई अडचन नहीं आई। अब हाल में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खुले आम कई गुण्डा तत्वों को साथ लेकर चेतावनी दी कि आराजी मुतनाजा मेरे नाम पर है और बलपूर्वक आराजी मुतनाजा पर कब्जा कर कार्य काश्त करने का प्रयास किया जिसे गांव वालों ने बा मुश्किल रोका। इसके बाद तत्काल हम प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त बाबत जांच पडताल करा नकल आवंटन आदेश ताहाल जमाबंदी आदि प्राप्त की तो उक्त हालात का पता चला जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में बिना देरी के पेश है। रफा हुज्जत वास्ते दफा 05 कानून मियाद अधिनियम पृथक से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर तहत अदालत सब डिवीजनल अधिकारी एवं भू आवंटन अधिकारी राजगढ मुख्यालय अलवर द्वारा पारित आलोच्य आवंटन आदेश दिनांक 14.09.1975 अपास्त किया जाकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि से अप्रार्थी सख्या 02 रामवती का नाम कलमजन कर हटाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे व विवादित आराजी को चारागाह भूमि दर्ज किए जाने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आज्ञा प्रदत्त की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का मिलान किया गया। प्रार्थना पत्र 14(4) का कोई ठोस आधार एवं तथ्य नही है, न ही कब्जे के संबंध में कोई प्रमाणित तथ्य हैं। आवंटी को पूर्व में ही विधिवत खातेदारी के अधिकार दिये जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र में आवंटन को खारिज करने के कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर